लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

ऑनलाईन अपील संख्या
218143228731370 / 2026

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा जिला बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 04–02–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा जिला बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन 218688775397253 दिनांक 02.12.2025 प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा जिला बांसवाडा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 06.01.2026 जारी किया गया एवं अपीलार्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 21.01.2026 को प्रत्यर्थी ने पत्रांक आरटीआई / 2026 / 65 दिनांक 13.01.2026 से अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत ऑनलाईन आवेदन 218688775397253 दिनांक 02.12.2025 से चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई / 2025 / 18 दिनांक 02.01.2026 जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलार्थी अनुसार उपलब्ध करवाई गई 4 पेज की सूचना जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अपठनीय होकर श्वेत श्याम एवं अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरुप नही होना बताया है एवं एक पेज में सूचना मांगी गई है, के सन्दर्भ में उल्लेख किया कि सूचना का आकार ज्यादा बडा होने से 2 बटरशीट नक्शा को 4 पेज में कलर प्रिंट के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध संसाधनो अनुसार तैयार की गई। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा जिला बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई / 2025 / 18 दिनांक 02.01.2026 जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है, पत्र प्रति लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब के साथ संलग्न की है। अपीलार्थी का प्रमुख रुप से यह उज्र है कि "4 पेज की सूचना जो अपठनीय होकर श्वेत श्याम है। मेरे द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरुप नही है। मेरे द्वारा मात्र एक पेज की सूचना मांगी गई थी।" तहसीलदार गनोडा द्वारा जवाब में अवगत कराया है कि सूचना का आकार ज्यादा बडा होने से 2 बटरशीट नक्शा को 4 पेज में कलर प्रिंट के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना को उसके मूल स्वरुप के अनुरुप उपलब्ध नही करवाया गया है। अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना अपठनीय होने के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट नही किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गनोडा जिला बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने कार्यालय में रेकार्ड उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक **04–02–2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:27 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)